



कार्यालय : मध्याह्न भोजन योजना, जमुई।


(Email- mdmjamui@gmail.com)





मध्याह्न भोजन योजना के लिए संवेदक चयन हेतु निविदा

जमुई जिलान्तर्गत प्रखण्ड गिद्धौर के लिए वित्तीय वर्ष 2018-20 की अवधि में मध्याह्न भोजन योजना के लिए खाद्यान्न के परिवहन-सह-हथालन हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा निबंधित डाक से मध्याह्न भोजन योजना समिति, कार्यालय, जमुई, सतगामा, मलयपुर रोड, जमुई, पिनकोड- 811307 में निबंधित डाक के द्वारा प्राप्त की जायेगी। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 01/07/18 है। निविदा दिनांक 02/07/18 को 1.5:00 P.M बजे जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष निविदादाताओं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जायेगी।

निविदा की विस्तृत जानकारी एवं शर्तें वेबसाईट www.jamui.bih.nic.in, पर तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, जमुई/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई/ जिला पदाधिकारी, जमुई के सूचनापट्ट पर देखा जा सकता है।


जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना-सह-सचिव,
जिला स्तरीय चयन समिति, जमुई।


जिला शिक्षा पदाधिकारी,
-सह-सदस्य,
जिला स्तरीय चयन समिति, जमुई।


जिला पदाधिकारी,
-सह-अध्यक्ष,
जिला स्तरीय चयन समिति, जमुई।



कार्यालय : मध्याह्न भोजन योजना, जमुई ।



(Email- mdmjamui@gmail.com & mdmjamuibank@gmail.com)



मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

संवेदक चयन से सम्बन्धित विज्ञापन निविदा आमंत्रण सूचना

पत्रांक..676. जमुई, दिनांक..04/06/18



बिहार सरकार

निदेशक मध्याह्न भोजन योजना, बिहार पटना के पत्रांक 2226 दिनांक 20.11.2017 के आलोक में जिला मध्याह्न भोजन योजना, जमुई जिले के अन्तर्गत कुल एक (01) प्रखण्डों यथा गिद्धौर में मध्याह्न भोजन का खाद्यान्न वित्तीय वर्ष 2018-20 की अवधि में संबंधित राज्य खाद्य निगम के गोदाम से उठाव कर प्रखण्ड के विद्यालयों तक पहुँचाने का कार्य करने के लिए संवेदक का चयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधिन निविदा इच्छुक व्यक्तियों से मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा की शर्तें निम्नांकित होगी :-

01. संवेदक के चयन हेतु जिला स्तर पर सामाचार पत्र में निविदा प्रकाशित की जाएगी तथा वैसे संवेदकों का चयन किया जाएगा जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हो :-
 - ❖ वाहन कर्मिशियल होना जरूरी है।
 - ❖ वाहन का परमिट सक्षम प्राधिकार से निर्गत होना चाहिए।
 - ❖ वाहन का फिटनेस तथा इन्धोरेंस अनिवार्य है।
 - ❖ टैक्स भुगतान अद्यतन होना चाहिए।
 - ❖ चयनित होने के पश्चात् यदि किसी कारणवश/दुर्घटनावश वे अपना स्वयं के वाहन को बेचते हैं और दूसरा वाहन खरीदते हैं तो इसकी सूचना कार्यालय को देनी होगी। जिला पदाधिकारी, जमुई से अनुमोदनोपरान्त ही वाहन बदली जायेगी।
 - ❖ वाहन से सम्बन्धित सभी अद्यतन आवश्यक कागजात-यथा ऑनर बुक, इश्योरेंस एवं टैक्स टोकन की सभी छायाप्रति को निविदा में संलग्न करना आवश्यक होगा। वाहन से सम्बन्धित कागजात अप्राप्त रहने या अद्यतन नहीं रहने या किसी प्रकार की त्रुटि रहने पर एकरारनामा मान्य नहीं समझा जाएगा। निविदा में संलग्न किये जाने वाले सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित होना चाहिए।
02. निविदादाताओं को 15 पंचायत तक के प्रखंड हेतु 5 ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन (चार चक्का मालवाहक) एवं 15 पंचायत से अधिक प्रखंड के लिए 8 ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन (चार चक्का मालवाहक) की उपलब्धता का लिखित एकरारनामा दो वर्षों के लिए प्रस्तुत करना होगा कि चयन होने की स्थिति में वे वाहन मालिक अपने ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन (चार चक्का मालवाहक) को उस प्रखण्ड में मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न उठाव/वितरण उपलब्ध कराएंगे। इनमें से दो वाहन स्वयं निविदादाता के नाम से होना अनिवार्य होगा तथा शेष वाहनों का एकरारनामा खाद्यान्न उठाव एवं वितरण हेतु उपलब्ध करायेंगे। सभी वाहन GPS युक्त होना चाहिए।
03. खाद्यान्न का उठाव एवं विद्यालयों तक वितरण किये जाने वाले वाहनों में GPS लगाना अनिवार्य होगा। चयनित संवेदकों द्वारा खाद्यान्न उठाव कर वितरण किये जाने वाले वाहनों में यह GPS अपने स्रोत से लगाना होगा।
04. निविदादाताओं को 50000.00 (पचास हजार रू0) अग्रिम सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा (जिला कार्यालय, मध्याह्न भोजन योजना के नाम से देय होगा) जो संवेदक के रूप में चयन हो जाने से सेवा जारी रहने तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना के कार्यालय में जमा रहेगा। बैंक गारंटी की वैधता दिनांक 31.03.2020 तक होना चाहिए।
05. जिन निविदादाताओं का संवेदक के रूप में चयन नहीं हो जायेगा वैसे निविदादाताओं को एक माह के अन्दर 50000.00 (पचास हजार रू) अग्रिम सुरक्षित जमा राशि चेक/ड्राफ्ट से वापस करना होगा।
06. समय पर कार्य करने में असफल होने/किसी भी प्रकार के आरोप प्रमाणित होने अथवा असंतोषजनक कार्य पर संवेदक की अग्रिम सुरक्षित जाम राशि 50000.00 (पचास हजार रू0) जिला कार्यालय मध्याह्न भोजन योजना द्वारा जब्त कर ली जाएगी।



कार्यालय : मध्याह्न भोजन योजना, जमुई ।



(Email- mdmjamui@gmail.com & mdmjamuibank@gmail.com)

07. निविदादाताओं को पुलिस अधीक्षक/अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (मूल प्रति में) जो तीन माह के अंदर निर्गत हो समर्पित करना अनिवार्य होगा।
08. संवेदक को चावल दुलाई हेतु जब भी बुलाया जाएगा, अपेक्षित संख्या में संबंधित माल दुलाई के वाहन को लेकर एस0 एफ0 सी0 (राज्य खाद्य निगम) के गोदाम पर आना होगा।
09. ससमय खाद्यान्न दुलाई नहीं करने या अपेक्षित संख्या में वाहन नहीं लाने या चावल की अनियमितता में विद्यालय के प्रभारी के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलिप्त रहने पर संवेदक का एकरारनामा रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई किया जायेगा।
10. किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी एक ही प्रखंड के लिए निविदा स्वीकार्य होगा। एक से अधिक प्रखंड के लिए निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा हेतु एक से अधिक प्रखंड का Option (विकल्प) देने पर निविदा को नियमानुसार नहीं मानते हुए निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा।
11. संवेदक चयन होने पर दुलाई हेतु एकरारनामा वाले वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। दुलाई कार्य में प्रयुक्त वाहनों पर मध्याह्न भोजन योजना लिखा हुआ पेंट कराना अनिवार्य होगा। वाहन पर पेंट से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना एवं उक्त प्रखण्ड के प्रखंड साधन सेवी का मोबाईल न0 जिला कार्यालय का दूरभाष संख्या भी लिखा होना अनिवार्य रहेगा।
12. प्रत्येक निविदादाताओं को इस आशय का शपथ पत्र नोटरी से कराकर निविदा में संलग्न कराना होगा, कि "मैं कोई निर्वाचित जन प्रतिनिधि/जन वितरण प्रणाली का दुकानदार/ सरकारी सेवक/बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना का कर्मी नहीं हूँ एवं मेरे निकटतम परिवार में कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि/जन वितरण प्रणाली के दुकानदार/बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना के कर्मी नहीं है। उक्त शर्त में किसी भी स्तर से गलत पाये जाने पर निविदा रद्द कर दिया जायेगा।
13. प्रत्येक निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र नोटरी से कराकर निविदा में संलग्न करना होगा कि "वह कहीं से काली सूची (Black Listed) में नहीं है तथा उसके द्वारा जमा किये गये सभी कागजात की सूचना सही है। गलत सूचना देने या गलत कागजात जमा करने पर चयनित निविदादाता का चयन रद्द करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
14. राज्य खाद्य निगम से FAQ(Fair average quality) गुणवत्तापूर्ण चावल का ही उठाव करना होगा। जिला कार्यालय द्वारा विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने हेतु रूट चार्ट तैयार किया जायेगा। रूट चार्ट के अनुसार ही उक्त तिथि को ससमय विद्यालय में संवेदक खाद्यान्न उपलब्ध करायेंगे।
15. वाहन एकरारनामा से संबंधित वाहनों के सभी आवश्यक कागजात—यथा ऑनरबुक, इन्श्योरेंस, टैक्स टोकन, परमिट, प्रदुषण, फिटनेस एवं अन्य की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित कर निविदा में संलग्न करना आवश्यक होगा। वाहन से संबंधित कागजात अप्राप्त रहने या अद्यतन नहीं रहने या किसी प्रकार की त्रुटि रहने पर एकरारनामा मान्य नहीं समझा जाएगा। जिला मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय द्वारा वाहन के कागजातों की जाँच जिला परिवाहन पदाधिकारी कार्यालय से कराना होगा कि ये सभी वाहन व्यवसायिक कार्य उपयोग में लिये हैं।
16. निविदादाता को आवेदन के साथ अपना हाल का खींचा हुआ 03 तीन कलर फोटो/ID proof/आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करना होगा।
17. संवेदक को Weighing मशीन से तौल कर विद्यालयों में खाद्यान्न उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
18. सामान अहर्ता होने की स्थिति में वैसे निविदादाता को प्राथमिकता दी जायेगी, जिनके पास अपना ट्रैक्टर/पिकअप/छोटी वाहन (चार चक्का मालवाहक) एवं अन्य व्यवसायिक वाहन ज्यादा हो। इसके बाद भी सभी अहर्ताएँ समान होने पर निविदादाताओं का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
19. संवेदक के चयन मुक्त होने, त्यागपत्र देने या अन्य कारणों से हटाये जाने पर (जैसे प्राथमिकी दर्ज हो जाने पर) उस प्रखंड में खाद्यान्न उठाव एवं वितरण का कार्य नये संवेदक के चयन होने तक प्रखण्ड साधन सेवी/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से किया जायेगा। वाहन की व्यवस्था प्रखण्ड साधन

कार्यालय : मध्याह्न भोजन योजना, जमुई।

(Email- mdmjamui@gmail.com & mdmjamuibank@gmail.com)

- सेवी/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से करेंगे। जिस वाहन से खाद्यान्न की दुलाई करेंगे उस वाहन से संबंधित सूचना (वाहन मालिक का नाम पता एवं वाहन का प्रकार) जिला कार्यालय, मध्याह्न भोजन योजना को उपलब्ध करायेंगे।
20. संवेदक द्वारा खाद्यान्न का कालाबाजारी करने/विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से खाद्यान्न बर्बाद होने या चोरी होने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। साक्ष्य प्राप्त होने की स्थिति में बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अर्थिक दण्ड लगाते हुए राशि की वसूली किया जायेगा एवं नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा।
 21. चावल का उठाव प्रखण्ड साधन सेवी तथा संवेदक संयुक्त हस्ताक्षर से करेंगे। मात्रा तथा गुणवत्ता के लिये प्रखण्ड साधन सेवी एवं संवेदक संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे। राज्य खाद्य निगम के गोदाम से चावल निर्धारित मात्रा में उठाव कर विद्यालय के स्टोर तक पहुँचाने की जिम्मेवारी संवेदक/प्रखण्ड साधन सेवी की होगी। इसमें प्रयुक्त होने वाले वाहन, ईंधन, लगने वाली मजदुरी, हथालन व्यय आदि की सारी व्यवस्था संवेदक द्वारा की जायेगी। SIO के आधार पर प्रखण्ड साधन सेवी तथा संवेदक दोनों अपने संयुक्त हस्ताक्षर से राज्य खाद्य निगम के गोदाम से मध्याह्न भोजन के लिये खाद्यान्न उठाव करेंगे। प्रखण्ड साधन सेवी द्वारा प्रत्येक माह की 18वीं तारीख तक संवेदक को विद्यालय में खाद्यान्न की आवश्यकता आधारित एक वितरण सूची उपलब्ध कराया जाएगा जिसके आधार पर विद्यालयों में संवेदक द्वारा माह की 22 से 30 तारीख तक खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रखण्ड साधन सेवी द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्राप्त किये गये खाद्यान्न को सत्यापित करते हुए प्रखण्ड स्तर पर विद्यालयों में खाद्यान्न प्राप्त सूची को समेकित कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को अगले माह की 10 वीं तारीख तक उपलब्ध कराया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, विद्यालय में खाद्यान्न वितरण सूची के आधार पर संतुष्ट होने के उपरान्त संवेदक को परिवाहन-सह-हथालन मद में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर माह के 15 वीं तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।
 22. चयनित निविदादाता के साथ एकरारनामा एक बार में अधिकतम दो वर्ष तक के लिए ही किया जायेगा संवेदक के असफल होने या असंतोषजनक कार्य करने की स्थिति में एकरारनामा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना असफल होने या असंतोषजनक कार्य करने का कारण सहित चयन समिति के समक्ष उपस्थापित करेंगे। चयन समिति का अंतिम निर्णय मान्य होगा।
 23. एक चयनित संवेदक से दो वर्ष ही कार्य लिया जाएगा तथा दो वर्ष के बाद अवधि विस्तार नहीं किया जायेगा। दो वर्ष समाप्त होने के पहले (31 मार्च तक) नये संवेदक का चयन कर 1 अप्रैल से नये संवेदक के साथ एकरारनामा कर लेना अनिवार्य होगा। किसी विशेष परिस्थिति में नये संवेदक के चुनाव निर्धारित समय सीमा तक नहीं हो पाता है, तो उस प्रखण्ड के प्रखण्ड साधन सेवी एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण किया जायेगा। प्रखण्ड साधन सेवी/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा मात्र दो ही माह वैकल्पिक तौर पर खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण किया जायेगा। यदि उक्त समयवधि के अन्दर चयन नहीं किया जाता है तो इसकी सारी जवाबदेही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना पर जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए नये सिरे से निविदा का प्रकाशन किया जायेगा।
 24. जिन जिला के लिए निविदा प्रकाशित किया जायेगा, निविदादाता उसी जिला का मूल निवासी होगा।
 25. संवेदक का चयन जिस प्रखण्ड के लिए किया जायेगा, उनके कार्यकाल की गणना उक्त प्रखण्ड के लिए ही मान्य होगा।
 26. चयनित निविदादाता को खाद्यान्न की दुलाई हेतु केवल उसी वाहन का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। जिसका एकरारनामा निविदा के साथ निविदादाता के द्वारा दिया गया है।





कार्यालय : मध्याह्न भोजन योजना, जमुई।




(Email- mdmjamui@gmail.com & mdmjamuibank@gmail.com)

27. वाहन मालिक से एकरारनामा स्टाम्प पेपर (नन जुडिशियल स्टाम्प पेपर) पर किया जाएगा तथा प्रत्येक वाहन मालिक का एकरारनामा पृथक-पृथक स्टाम्प पेपर पर किया जाएगा। एक वाहन का एकरारनामा किसी एक ही निविदादाता के साथ मान्य होगा। एक से अधिक निविदादाता के साथ एकरारनामा की स्थिति में सम्बन्धित वाहन मालिक का सभी एकरारनामा रद्द माना जाएगा।
28. निविदा से सम्बन्धित जानकारी जिला कार्यालय/वेबसाईट से डाउनलोड करके प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट www.jamui.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।
29. निविदा की शर्तों को शिथिल करने या संशोधित करने तथा निविदा किसी भी समय रद्द करने का अधिकार चयन समिति का होगा।
30. अन्य शर्तें चयनित संवेदकों के साथ एकरारनामा में दिया जायेगा।
31. बंद लिफाफे के ऊपर प्रखण्ड का नाम तथा आवेदक का मोबाईल नम्बर बड़े-बड़े अक्षरों में एवं साफ-साफ लिखा होना चाहिए। लिफाफा लाह से बंद होना चाहिए।
32. निविदा से संबंधित सभी कागजातों को Scan कर CD में संलग्न कर देना अनिवार्य होगा।


जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
म० भ० य० सह-सचिव
जिला स्तरीय चयन समिति,
जमुई।


जिला शिक्षा पदाधिकारी
-सह-सदस्य-
जिला स्तरीय चयन समिति,
जमुई।


जिला पदाधिकारी
-सह-अध्यक्ष-
जिला स्तरीय चयन समिति,
जमुई।